लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
050/2023 (GCMS 2023/151)	22.06.2023	05.07.2023

अनवान

बंशीलाल कुमावत पिता डालचंद कुमावत निवासी मु0पो0 आंवलहेडा वाया बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414821114)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.05.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./050/2023(सू.अ.)(05.07.2023)/309 दिनांक 22.06.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 05.07.2023 को अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/ 2023/172

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 05.07.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। अपीलार्थी बावजूद सूचना पत्र के

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री बंशीलाल कुमावत पिता डालचंद कुमावत निवासी मु0पो0 आंवलहेडा वाया बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बस्सी से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बस्सी का इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/79 दिनांक 16.06.2023 से अंतरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरांत वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में हैं। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बस्सी को अन्तर्गत धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया हैं, किन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) अपने अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन के अंतरण कर देने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते है, अधिनियम 2005 में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया गया है कि स्वयं अथवा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारियों से अधिनियम में प्रावधित समयावधि में आवेदकों को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करायें। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 10.05.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुआ है जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में प्रावधित समयावधि में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना को अंतरित कर दिया गया हैं, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.06.2023 को प्रेषित की गई जो कि न्यायालय को दिनांक 20.06.2023 को प्राप्त हुई है। हस्तगत अपील में अपीलार्थी उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति यह संभाव्य है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त नहीं अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ऐसी स्थिति में जिससे अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 10.05.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2023 से वांछित सूचना 10 दिवस में निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)